

उत्तर रेलवे

कार्यालय मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
जगाधरी वर्कशाप।

संख्या 974-ई/हित/कोविड-19/ज0व0
दिनांक- 18-07-2020

सभी अधिकारीगण,
सभी वरि0 खण्ड अभियंता,
जगाधरी वर्कशाप ।


विषय:- कारोना वायरस के प्रसार को रोकने तथा Persons with Disabilities (Divyangjan) के
उपस्थिति के संबंध में ।

संदर्भ:- 1.DOPT L.No. FN- 11013/9/2014-ESTT(A-III) dated 25.03.2020, 27.03.2020 and
19.05.2020
2.इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 20-05-2020, 13.07.2020

उपरोक्त संदर्भित DOPT के पत्रानुसार (Persons with Disabilities 'Divyangjan') को कार्यालय में
कार्य हेतु रोस्टर में शामिल न करने के आदेश जारी किये गये थे । DOPT के उपरोक्त आदेश में कोई
बदलाव न होने के कारण इस कार्यालय के द्वारा जारी समसंख्यक पत्र दिनांक 13-07-2020 के आदेश को
तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

अतः सभी (Persons with Disabilities 'Divyangjan') को अग्रिम आदेश तक कार्य हेतु रोस्टर से
Exempt किया जाये ।

सभी सुपरवाइजर/इंचार्ज को सूचित किया जाता है कि सभी Persons with Disabilities (Divyangjan)
कर्मचारियों को सूचित कर दें ।


कृते मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
जगाधरी वर्कशाप ।

प्रतिलिपि - सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- 1.सचिव एनआरएमयू (यांत्रिक एवं विद्युत शाखा) - जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।
- 2.सचिव यूआरएमयू (यांत्रिक एवं सामान्य शाखा) -जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।
- 3 सचिव एससी/एसटी एवं ओबीसी एसोसियेशन -जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।
- 4 सभी मुख्य कार्यालय अधीक्षक/इंचार्ज - जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।